कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र कमांक एफ 6(9) परीक्षा क/प्राध्यापक–(स्कूल शिक्षा)/चित्रकला/छात्र–छात्रा/2015–16/2250 दिनांक 19/10/16, 2258 दिनांक 22/10/16 एंव 2259 दिनांक 22/10/16 के द्वारा प्राध्यापक, स्कूल शिक्षा, चित्रकला, वेतन श्रंखला पी0बी0 2 (9300–34800)ग्रेड वेतन 4800 के पद पर चयनोपरांत देवराज बैरवा पुत्र श्री मंगललाल बैरवा को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्परूप इस कार्यालय के आदेश दिनांक 23/10/16 द्वारा प्राध्यापक चित्रकला (स्कूल शिक्षा)के पद पर नियुक्ति प्रदान कर राउमावि कैथुदा तालेडा, बुंदी में पदस्थापन किया गया । देवराज बैरवा के विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण देवराज बैरवा को व्याख्याता चित्रकला के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु अपात्र घोषित करने के फलस्परूप देवराज बैरवा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस0बी0 याचिका संख्या 17622/16 दायर की गई । माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 16/09/19 को याचिकार्थी के प्रकरण में याचिकार्थी को व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण करवाने संबंधी आदेश जारी करने का निर्णय प्रदत्त किया गया ।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर अवमानना याचिका सं0 122/20 में पारित आदेश दिनांक 30/7/20 को द्वष्टिगत रखते हुए शासन के पत्र कमांक प017(232)माध्य/शिक्षा–2/विप्र/2019 दिनांक 14.8.20 की प्रशासनिक स्वीकृति पश्चात एस0बी0 याचिका संख्या 17622/16 देवराज बैरवा बनाम सरकार में पारित निर्णय 16.09.2019 की पालना **डी0बी0 विशेष अपील के अंतिम निर्णय के अध्यधीन** देवराज बैरवा को पूर्व पदस्थापन स्थान रिक्त नहीं होने की स्थिति में उसी जिले व ब्लाक की GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BARUNDHAN TALERA(BUNDI) (08230405005) में व्याख्याता चित्रकला के पद पर पदस्थापित किया जाकर कार्यग्रहण की स्वीकृति दी जाती है । शेष शर्ते मूल नियुक्ति आदेश दिनांक 23.10.16 अनुसार यथावत रहेगी । सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–5/देवराज बैरवा/2019/ /31
दिनांकः–14 /08/2020

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

01. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
02. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
04. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
05. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर को सुचनार्थ ।
06. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
07. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
08. संबंधित प्राधानाचार्य को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
09. संबंधित कार्मिक।
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)

court case auto